



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

15 (6) 82/98-O&M-III

दिनांक : 9 नवम्बर, 2017

No.

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक एवं प्रमुख

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय में एचआरए/एलटीसी/टीए/डीए एवं अन्य भत्तों से संबंधित निजी दावों के गलत भुगतान संबंधी अनेक शिकायतें, विशेषतौर पर उच्च अधिकारियों की, प्राप्त हो रही हैं जिसके परिणामस्वरूप न केवल धन की वसूली बल्कि अनुशासनिक नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई भी की जाती है। यह संगठन और अधिकारी विशेष दोनों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आपकी प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों को यह सलाह दी जाए कि वे अपने दावों को प्रस्तुत करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी स्वयं इस विषय से संबंधित नियमों एवं विनियमों की पूरी जानकारी रखें एवं उसे अद्यतन रखें और नियमानुसार कार्रवाई करें।

भवदीय,

15/11/17

(मेजर राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के वरिष्ठ प्रशा. नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सीएसआईआर मुख्या./एचआरडीजी/एचआरडीसी/यूआरडीआईपी/आईपीयू के वरि. उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर के निजी सचिव
5. ✓ प्रमुख, आईटी, सीएसआईआर : इस पत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. कार्यालय प्रति



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

No.

15-6(82)/98-O&M-III

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

Speed Post

Dated : 9 Nov., 2017

The Directors & Heads of all CSIR Laboratories/Institutes/Units

Sir/Madam,

This office is in receipt of number of complaints regarding wrong payment of personal claims from office, on account of HRA/LTC/TA/DA and other allowances etc. particularly to the higher officers, which is not only resulting into recovery of the money but also action under the disciplinary rules. This is not at all a healthy situation for both organisation and the individual officer.

Therefore, it is requested that all staff members working in your Laboratory/Institute may be advised to take utmost care while submitting their claims & also the administrative functionaries to get themselves fully acquainted and updated with the rules & regulations on the subject and take action accordingly to the rules.

Yours faithfully,

(Major Rana Vikram Singh)
Chief Vigilance Officer

Copy to :

1. Sr. COAs/COAs/AOs of all CSIR labs./Instts./Units
2. Sr. DS/DS/US of CSIR Hqrs/HRDG/URDIP, IPU
3. PS to DG, CSIR
4. P.S. to JS (Admn.)
- ✓ 5. Head, IT, CSIR – for placing this letter on CSIR website
6. Office Copy